# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
## निविदा सूचना

क्रमांक : एसके/एचसी/2014–15/269 दिनांक : 30.09.2014

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के निवास कार्यालयों में लगभग 600 मीटर कपड़े के पर्दे (कार्यालय द्वारा स्वीकृत नमूनानुसार, वांछित क्वालिटी की सामग्री का प्रयोग करते हुये सिलाई मय फिटिंग इत्यादि) बनाकर लगाने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय की दरों के सम्बन्ध में मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। (अनुमानित मूल्य 2 लाख रूपये)

निविदाऐं दिनांक 01.10.2014 से दिनांक 13.10.2014 तक सायं 5.00 बजे तक बेची जाकर दिनांक 14.10.2014 को दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी एवं प्राप्त निविदाऐं उसी दिन सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें विभाग की वेबसाइट http://www.hcraj.nic.in पर देखी जा सकेगीं। निविदा फार्म मय विवरण कार्यालय समय में मुख्य रोकड़पाल को निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

आज्ञा से,

30.9.14

रजिस्ट्रार (प्रशासन),

# कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

**:: सोफा सेट की दुरूस्ती हेतु निविदा एवं अनुबन्ध की शर्ते ::**



1. निविदा प्रपत्र मय विवरण कार्यालय समय में दिनांक 01.10.2014 से दिनांक 13.10.2014 को सायं 5.00 बजे तक कार्यालय के मुख्य रोकड़पाल (Cashier) से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किए जा सकते है।

2. निविदाएँ पूर्ण रूप से भरी जाकर मोहरबंद निविदाएँ दिनांक 14.10.2014 को दोपहर 2.00 बजे तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। निविदाएँ पूर्ण रूप से भरी होनी चाहिये। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 14.10.2014 को सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। विलम्ब से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएगी।

3. निविदा प्रपत्र में कपड़े के पर्दो की बनाने में प्रयोग में ली जाने वाली सामग्री जैसे कपड़ा, सिलाई में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री इत्यादि (कार्यालय द्वारा स्वीकृत नमूनानुसार) गुणवता वाले प्रयुक्त किये जायेगा तथा उनका नमूना इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा यदि आप द्वारा एक या उससे अधिक प्रकार के नमूने प्रस्तुत किये जाते है तो उन सभी की दरें पृथक–पृथक रूप से स्पष्ट रूप से भरकर देनी होगी।

4. सम्बन्धित फर्म को कार्यादेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर उक्त कार्य को सम्पूर्ण करना होगा। उक्त निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पूर्ण नही किये जाने पर कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

5. उक्त कार्य कार्यालय द्वारा निर्धारित किये गये स्थानों पर सम्पादित करना होगा। कार्यालय द्वारा जारी की गई निविदा में वर्णित कार्य की मात्रा कम या ज्यादा की जा सकती है।

6. निविदादाता को अनुमानित क्रय राशि का 2 प्रतिशत रूपये कार्यालय में अमानत राशि के रूप में नगद रूप से अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवाई जायेगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट '**रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर**' के नाम से देय होगा। निविदा प्रपत्र के साथ नगद की रसीद या डिमाण्ड ड्रॉफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा। इसी प्रकार कार्यादेश दिये जाने के तीन दिवस के भीतर दिये गये कार्यादेश की कुल कीमत का 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा करवानी होगी। जिसमें जमा अमानत राशि का समायोजन धरोहर राशि में किया जा सकता है।

7. निविदा एवं प्रस्तुत दरें सभी करों सहित शब्दों एव अंकों में स्पष्ट रूप में लिख कर अंकित करनी होगी। कॉट–छाँट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरें पृथक से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। निविदा में प्रस्तुत दरों में सभी प्रकार के के व्यय जैसे – Tax, Handling Charges, Installation Charge, etc. भी सम्मिलित होने चाहिये ।

8. अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। कार्य सन्तोषप्रद किये जाने एवं सम्बन्धित अनुभाग द्वारा उसके कार्य के भौतिक रूप से सत्यापित किये जाने के पश्चात ही सम्बन्धित फर्म को भुगतान देय होगा।

9. कार्य आदेशानुसार नहीं होने पर निविदादाता के खर्चे पर लौटाया जा सकेगा तथा उक्त कार्य अन्य किसी फर्म द्वारा करवाये जाने कर अंतर की राशि/ अधिक व्यय सम्बन्धित निविदादाता से वसूल की जाएगी ।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

क्रमशः पृष्ठ संख्या – 02

# कार्यालयः राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर



10. उक्त कार्य सम्पादन/आपूर्ति में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिये कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा और न हीं कोई जिम्मेवारी होगी। किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने को पूर्ण अधिकार कार्यालय को होगा। विभाग न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। निविदा खोले जाने एवं स्वीकार किये जाने की तिथियों में परिवर्तन का अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता में निहित होगा।

11. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही सम्पादित करेगा स्वीकृत कार्य को किसी अन्य एजेन्सी या फर्म के माध्यम से नहीं करवायेगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा।

12. सामग्री आपूर्ति सम्बन्धी अन्य शर्ते सम्बन्धित निविदा प्रपत्र में संलग्न है, के अनुसार निविदादाता को कार्य सम्पन्न करना होगा ।

13. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी ।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर